न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/119/2023 रजू दिनांकः 03.10.2023 रजि0 न0 2023/670

अपीलार्थी:–
श्री रामप्रकाश सैनी पुत्र श्री शिम्भूदयाल सैनी, निवासी मौहल्ला खोहरा, स्कीम नं0 7, अलवर जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 30.10.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.10.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ–2/आयोजना/8908 दिनांक 12.10.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2023 में अंकित चाही गई बिन्दुवार सचूना के संबंध में बिन्दु संख्या 3 व 4 की प्रमाणित प्रति संलग्न एवं पूर्व में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.08.2020 को सूचना न्यास कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया जाना अवगत कराया हैं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा भिजवाई गई सूचना अपूर्ण है एवं अपीलार्थी के प्रथम आवेदन में वांछित पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रथम आवेदन में वांछित सूचना यथा कार्यालय को भिजवाई गई बिन्दु संख्या 3 व 4 की प्रमाणित प्रति एवं शेष बिन्दुवार सूचना यदि देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को समस्त बिन्दुवार सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)